उत्तर प्रदेश शासन
वार्षिक अनुभाग-4
संख्या- 4-ई. एम. /90- का-4-2001
लखनऊ : दिनॉक: जुलाई 17, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 15 दिसम्बर, 2000 के द्वारा पुलिस विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग से भिन्न अन्य समस्त विभागों के वाहन चालकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 दिन के समतुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि संबंधित विभाग के लेखाशीर्षक के अन्तर्गत "07-मानदेय" की मद से उपलब्ध कराने के आदेश निर्गत किये गये थे ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि उक्त प्रतिपूर्ति धनराशि पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के लेखाशीर्षक के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई "01-वेतन" के नामे डाला जायेगा । समसंख्यक कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 15 दिसम्बर, 2000 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-336/दस-2001, दिनॉक 04 जुलाई, 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

ह० प्रदीप शुक्ला ह०
सचिव ।

संख्या-4-ई. एम. /90ह०-का-4-2001, तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

ह० डी० के० वर्मा ह०
विशेष सचिव ।